



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक 2239/अका./अ.मं./2024

रायपुर, दिनांक: 11/01/2024

// संशोधित अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का क्रमांक 22 की धारा 28 की उपधारा 2 की कंडिका (i) से (V) तक के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकायांतर्गत वाणिज्य अध्ययन मंडल का गठन निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:-

धारा	विवरण	सदस्यों का नाम
28(2)(i)	अध्ययनशाला के आचार्य	निरंक
28(2)(ii)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. श्री अशोक वर्मा, शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा 2. डॉ. सुनीता दुबे, शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा
28(2)(iii)	विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के सह-आचार्य	निरंक
28(2)(iv)	महाविद्यालय स्तर के दो स्नातक विभागाध्यक्ष चक्रानुक्रम में	1. डॉ. मोना चौहान, शास. महाविद्यालय, अभनपुर 2. श्री घनश्याम कुमार, शास. महाविद्यालय, मगरलोड, धमतरी
28(2)(v)	अधिकतम दो शिक्षकों का माननीय कुलपति जी द्वारा मनोनयन	1. डॉ. देवाशीष मुखर्जी, महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर 2. श्री दिनेश कुमार नाग, महर्षि वेदव्यास, शास. महाविद्यालय, भखारा

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी द्वारा डॉ. सुनीता दुबे, विभागाध्यक्ष-वाणिज्य विभाग, शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा को अध्ययन मंडल का अध्यक्ष मनोनित किया गया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार,
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 2240/अका./अ.मं./2024
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 11/01/2024

- आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
- संबंधित सदस्यों को
- संबंधित संकायाध्यक्षों को
- उप कुलसचिव, परीक्षा/सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)